न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट बूबानी

पीठासीन अधिकारी महावीर सिह आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 12/2020

श्री सीता राम सिह पुत्र स्व0 श्री लक्षामण सिह रावत जाति रावत उम्र 57 साल निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीललदार महोदय अजमेर
2. श्री कैलाश चन्द पुत्र गोपी उम्र 65 साल जाति ढोली
3. गेन्दी पुत्री स्व0 श्री गोपी उम्र 61 साल
4. गुमानी पुत्री स्व0 श्री गोपी उम्र 60 साल
5. प्रभुलाल पुत्र स्व0 श्री गोपी उम्र 58 साल
6. श्री मुन्नालाल पुत्र स्व0 श्री गोपी
7. श्री रामककरा पुत्र स्व0 श्री गोपी
8. श्री लक्ष्ममण राम पुत्र स्व0 गोपी
9. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि स्व0 श्री गोपी
10. श्री सीताराम पुत्र स्व0 श्री गोपी

समस्त अप्रार्थीगण 2 से 10 बालिग जाति जाचक/ढोली निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश **दिनांक 09.12.2021**

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत बूबानी में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता उपस्थित । पेरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी ग्राम मुहामी भू–अभिलेख क्षेत्र गगवाना तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या व खसरा संख्या वर्किंग 557 रकबा 6 बिस्वा

Scanned by CamScanner

व खसरा संख्या 558 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वर्तमान खसरा 733 रकबा 0.01 किस्म चाह कुआ 732 मिन रकबा 0.04 है व खसरा संख्या 732 मिन रकबा 0.23 है। जिस पर आने जाने का रास्ता वर्किंगखसरा 556 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म गांव के मार्ग तथा पगडडिया रास्ते के नाम दर्ज थी जि प्रार्थी अपने कुए व आराजी में आने जाने वाले रास्ते का उपयोग अपने पूर्वजो के समय से करता चला आ रहा था व उक्त खसरे में एक हैण्डपम्प सरकार के द्वारा निर्मित किया जिसका उपयोग गांव के सभी आमजन उपयोग में लेते चले आ रहे है वहा पर प्रार्थी के पूर्वजो ने एकक कमरा जानवरो के चारा रखने हेतु निर्मित करीब 100 साल ससे कर रखा जिसका उपयोग अपने पूर्वजो के समय से करता चला आ रहा है व उक्त खसरा वर्किंग 555 का वर्तमान खससरा 729 रकबा 0.3000 चाही 3 है जबकि खसरा नम्बबर 730 का रकबा 0. 0200 चाही 3 दर्ज कर राजस्व नक्शा में वर्किंग खसरा 558 के हिस्से में खसरा 730 को दर्शा दिया जबकि 730 वर्किंग खसरा 555 का भाग था अप्रार्थीगण 2 से 6 के नाम बिना आदेश बिना प्रार्थी को सुना जाकर अवैधानिक तरीके से नाम दर्ज कर देने के कारण प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व राजस्व नक्श को दुरूस्ती करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वर्तमान में सम्पन्न भू–संशोधन की कार्यवाही वर्किंग खसरा व वर्तमान में खसरा नम्बर जिसका विवरण भिन्न प्रकार से है जो कि वर्णित कृषि आराजी में मिलान क्षेत्रफल व राजस्व नक्शा सन् 1970–1971 व सन् 1984–1985 से राजस्व नक्शे में भिन्नता होना साबित है। वर्तमान में भू–संशोधन व राजस्व नक्शा की कार्यवाही पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कायत की गई आधारभूत जमाबंदी व नक्शा में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री तलब तथा बिना किसी प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये लिपिकीय त्रुटि कारित करते हुए आधारभूत जमाबंदी व नक्शा में गलत इन्द्राज को पूर्व नक्शा सन् 1970–71 के अनुसार दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीया अपने हक व अधिकार की भूमि पर बहैसियत मालिक है व अपने पूर्वजो के समय से मकान व कुआ बना रखा है जहॉ पर अपने परिवार के साथ निवाास कर रहा है सरकार ने एक पानी का हैण्डपम्प लगा रखा है जो उसका उपयोग काफी समय से काफी परिवार के लोग करते चले आ रहे वह कुए पर आने जाने का रास्ता है जो कि करीबर 100 साल से उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है जिस पर 50–60 कुए व आराजी पर आने जाने का रास्ता है इसलिये गलत इन्द्राज हो जाने के कारण अप्रार्थीगण उक्त जमाबंदी में

रास्ता जो वर्किंग जमाबंदी में अंकित था जो वर्तमान जमाबंदी व राजस्व नक्शे में अप्रार्थीगण 2 से 6 के नाम गलत अंकित हो जाने के कारण अप्रार्थीगण उक्त जमाबंदी के अनुसार उक्त रास्ते को अवरूद्व करना चाहते है व हेण्डपम्प पर कब्जा करना चाहते व गांव वालो पानी लेने से वंचित करने की धमकी दे रहे है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वर्णित खसरा नम्बर 556 वर्किंग खसरा के अनुसार राजस्व नक्शे के अनुसार ही वर्तमान नक्शा दुरूस्त करे व वर्तमान में खसरा 730 जो कि पूर्व जमाबंदी वर्किंग में रास्ता दर्ज था व सवाई चक रास्ता इन्द्राज था उसी अनुसार वर्तमान खसरा 730 रास्ता वकिकग जजमाबंदीी खासराा 55 जो राजस्व नक्शा स्न 1970–71 में रास्ता था उस वर्तमान में रास्ते का रक कम ककर राजस्व नक्शा सन् 1984–85 के नक्शे में खसरा 730 का अंकन कर अप्रार्थीगण के नाम न्द्राज कर दिया इसलिये इनके स्थान पर रास्ता अंकित कर राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शा दुरूस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे अप्रार्थीगण को पाबन्द करे कि दुरूस्ती होने तक खसरा नम्बर वर्किंग 556 व वर्तमान खसरा नम्बर 730 में सरकार द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प से पानी लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही उस पर अतिक्रमण करे ना ही हेडपम्प व कमरे पर आने जाने वाले रास्ते को अवरूद्व करे ना ही प्रार्थी को उसके कमरे व हैण्डपम्प से पानी लेने व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्प करे व र्किंग खसरा 555, 556, 557, 558 के राजस्व नक्शा अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से पेमाईश करवाकर वर्तमान नक्शा व जमाबंदी ददुरूस्त किये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से श्री शिवप्रसाद चौधरी अभिभाषक उपस्थित आये।

अप्रार्थी 6 जरिये अधिवक्ता दोराने केम्प जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि विपक्षी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिलीफ में राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किए जाने बाबत कथन अंकित किए है जबकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में नक्शा दुरूस्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है जो कि अपने आप में अपूर्ण है एवं धारा 132, 136 के तहत अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात में से रकबा कम कर धारा 132, 136 के तहत दुरूस्ती कानूनन नही की जा सकती, एव ना धारा 132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जा सकता है। एव ना ही उपरोक्त

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के तहत पेमाईश की जा सकती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन स्वीकार योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

दोराने कैम्प तहसीलदार अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि विवादित आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि में से खसरा नम्बर 731 रकबा 0.19 गेर मुमकिन रास्ता अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रकरण में कोई खातेदारी आराजियात प्रभावित नही हो रही है।।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब में दुरूस्ती बाबत कोई अनुशंषा नही की गई है, एवं अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने रकबा कम कर अप्रार्थीगण के नाम भूमि में से राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि धारा 132 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही आने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही आने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner